FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE AND ANTI- **P.S. (थाना):** KULLU **Year (वर्ष):** 2021

   FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0003 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 10/06/2021 13:15 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	420
2	IPC 1860	447
3	IPC 1860	120-B
4	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day (दिन):** Intervening Day **Date From (दिनांक से):** 27/05/2006 **Date To (दिनांक तक):** 10/06/2021

      Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 10/06/2021 **Time (समय):** 00:00 hrs

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 011 **Date & Time (दिनांक और समय):** 10/06/2021 15:28 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा):** EAST, 48 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

      (b) **Address (पता):** upper Sainj ,Banjar, 175134

      (c) **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):**
      Name of P.S.(थाना का नाम): SAINJ **District(State) (ज़िला (राज्य)):** KULLU(HIMACHAL PRADESH)

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):**

   (a) **Name (नाम):** Oma Thakur
   (b) **Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम) :**
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 24/02/1988 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No. (यूआईडी सं॰):**
   (f) **Passport No.(पासपोर्ट सं॰):** **Date of Issue (जारी करने की तिथि):**
   Place of Issue (जारी करने का स्थान):
   (g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)**

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

   (h) **Address (पता):**

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	Kullu,Kullu,KULLU,STATE VIGILANCE AND ANTI-CORRUPTION BUREAU (SV & ACB), HIMACHAL PRADESH,INDIA
2	Permanent Address	Kullu,SADAR KULLU,KULLU,HIMACHAL PRADESH,INDIA

   (i) **Occupation (व्यवसाय):**
   (j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**
   Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No.(क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	Roshan lal		Father's Name : Harfi Ram	1. Rahini dhar ,sainj ,sainj,SAINJ,KULLU, HIMACHAL PRADESH,INDIA-175134
2	Mahesh Sharma		Father's Name : Prem Chand	1. Upper Sainj,SAINJ,KULLU,HIMACHAL PRADESH,INDIA-175134
3	Nika Ram		Father's Name : Bala Ram	1. Upper Sainj ,SAINJ,KULLU,HIMACHAL PRADESH,INDIA-175134
4	Gopal Chand		Father's Name : Sari ram	1. Hidab ,BANJAR (SERAJ),KULLU, HIMACHAL PRADESH,INDIA-175123
5	Thakur Dass		Father's Name : Lt. Inder dev	1. Sudharani , Balichowki ,AUT,MANDI, HIMACHAL PRADESH,INDIA
6	Harbans Lal		Father's Name : jagat Ram	1. Buran ,Buran thachi ,AUT,MANDI, HIMACHAL PRADESH,INDIA
7	Shiv Ram		Father's Name : Sh Hukam Ram	1. Jhibhi ,BANJAR (SERAJ),KULLU, HIMACHAL PRADESH,INDIA-175123
8	Gopal Chand Gupta		Father's Name : Lala Ram	1. 39,ward No 5, Haripur , Haripur , Sunder Nagar ,SUNDER NAGAR,MANDI, HIMACHAL PRADESH,INDIA
9	Virender kumar SDO Balh			1. HPPWD Sub Division NerChowk ,BALH, MANDI,HIMACHAL PRADESH,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू॰डी॰प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

जाँच रिपोर्ट शिकायत पत्र संख्या SVACB(R-C-R/HQ) Compl-166/15 (KLU)-8345 दिनांक 04-06-2021व कार्यालय पुलिस अधीक्षक रा.स.एवं भ्र.रो.ब्यूरो मध्य खण्ड मंडी के पृष्ठांकन संख्या-3297 दिनांक 08-06-2021 के जाँच रिपोर्ट में अभियोग पंजीकृत करने के आदेश हुए हैं। शिकायत पत्र में जाँच निरीक्षक ओमा ठाकुर जाँच अधिकारी थाना रा.स.एवं भ्र. रो. ब्युरो केलांग जिला लाहौल स्पिति, अस्थायी तैनाती रा.स. एवं भ्र. रो. ब्यरो कुल्लू द्वारा अमल में लाई। जाँच अधिकारी ने स्वतः पूर्ण रिपोर्ट प्रेषित की है। जिसका मजवुन निम्न है। सेवा में, प्रभारी, थाना रा.स.एवं भ्र.रो.ब्यूरो कुल्लू, जिला कुल्लू हि.प्र. श्रीमान जी,निवेदन है कि शिकायत पत्र संख्या SVACB (R-C-R/HQ) Compl.no.-166/15 (KLU)-20084 दिनांक 12/11/15 और पुलिस अधीक्षक रा.स.एवं भ्र.रो.ब्यूरो मध्य खण्ड मंडी के पृष्ठांकन संख्या-8339 दिनांक 18-11-15 के जांच हेतु थाना रा.स.एवं भ्र.रो.ब्युरो कुल्लू में प्राप्त हुई थी जिसका मजवून जैल है विश्वस्त सुत्रों से पता चला है कि जिला कुल्लू के सैंज घाटी में पार्वती जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु स्थानीय लोगों की भूमि NHPC द्वारा हि.प्र.लो.नि.वि.के माध्यम से अधिग्रहण की गई है। इस परियोजना के निर्माण हेतु सैंज बाई पास सडक का निर्माण करने के लिए स्थानीय लोगों की भूमि व उस पर वने मकान अधिग्रहण किए गए, जिसके लिए स्थानीय लोगों को बतौर क्षति पूर्ती भारी मात्रा में पैसा दिया गया। कई लोगों को जिनका रसूख NHPC व HPPWD के साथ अच्छा था को मकानों की कीमत बढा कर 3-4गुणा अधिक पैसा दिया गया। कुछ लोगों के मकान व भूमि जो 5-6 वर्ष पहले अधिग्रहित किये गए थे उन्हें भूमि व मकान का पैसा भी मिल चुका है लेकिन NHPC व HPPWD के साथ अच्छा रसूख होने के कारण वे उस भूमि व मकानों पर कुंडली मारे बैठे है जिनमें 2 व्यक्ति श्री रोशन लाल शर्मा पुत्र श्री हरफी राम निवासी नजद फारेस्ट रैस्ट हाउस रिहणी धार सैंज उप तहसील सैंज जिला कुल्लू व श्री महेश शर्मा पुत्र श्री प्रेम चन्द शर्मा निवासी अपर सैंज उप तहसील सैंज जिला कुल्लू हैं जिनके मकान न तो NHPC व HPPWD ने खाली करवाये व न ही उन्होने अभी तक स्वयं खाली किए हैं। इसी प्रकार NHPC व HPPWD ने कुछ चहेते लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए उपरोक्त सैंज बाई पास सडक की चौडाई अधिक दर्शाकर उनके भूमि व मकानों को अधिग्रहण किया जबकि मौका पर सडक की चौडाई कम है, जिसका अन्दाजा लारजी सैंज सडक की वर्तमान में प्रयोग की जा रही सडक की चौडाई से लगाया जा सकता है । इसके अतिरिक्त कुछ अच्छे रसूखदार लोगों ने परियोजना में प्रयोग होने वाली भारी मशीनरी के आवागमन से उनके मकानों को हुई झूठमूठ की क्षति का बहना बनाकर भारी मात्रा में जाली कम्पनशेशन प्राप्त किया है। उपरोक्त कृत्य में राजस्व विभाग व जिला प्रशासन के कुछ अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में रही है। शिकायत पत्र की जांच उप नि. राजेन्द सिंह और निरीक्षक ओमा ठाकुर जांच अधिकारी दवारा की गई है। जाँच के दौरान सैंज बाई पास सडक निर्माण व अधिग्रहण से संम्बन्धित सभी दस्तावेजों को कब्जा पुलिस में लिया गया है। जाँच पर पाया गया कि जिला कुल्लू की सैंज घाटी में पार्वती जल विधुत परियोजना के निर्माण हेतु सैंज बाई पास सडक का निर्माण करने के लिए स्थानीय लोगों की भूमि व मकानों का NHPC दवारा हि.प्र.लो.नि.वि. के माध्यम से अधिग्रहण किया गया है। सैंज बाई पास सड़क निर्माण हेतु हि.प्र. सरकार द्धारा अधिसूचना संख्या पी.बी.डब्ल्यू.(बी.)(ए.) (7)1-65/04 दिनांक 02-04-2005 के अनुसार फाटी दुशाहड़ उप तहसील सैंज जिला कुल्लू में 30-4-5 बीघा भूमि अर्जन हेतु धारा 4 भूमि अर्जन अधिनियम 1894 जारी की गई है। जाँच पर पाया गया कि भू अर्जन समाहर्ता HPPWD (CZ) मंडी जिला मंडी द्वारा अवार्ड न. 1/2006 दिनांक 27-05-2006 के अनुसार सड़क निर्माण हेतु अर्जन की गई भूमि व भूमि में लगे फलदार पौधों का मुआवजा और अवार्ड न. 2 दिनांक 12-01-2007 के अनुसार सड़क निर्माण हेतु अर्जन की गई भूमि में पाए गए मकान, गौशाला इत्यादि का मालिकों को मुआबजा प्रदान किया गया है। श्री रोशन लाल शर्मा पुत्र श्री हरफी राम निवासी नज्द फारेस्ट रेस्ट हउस रिह्नी धार, उप तहसील सैंज, जिला कुल्लू को अर्जन भूमि खसरा न. 103/1,104/1,105/1 और 106/1 का मुआबजा रकम मुबलिक 4,85,686/- रुपए, फलदार पौधों का मुआवजा रकम मु. 3,34,422/- रु. प्रदान किया गया है और रोशन लाल के भूमि खसरा न. 103,104 में बने 2.5 मंजिल स्लेट पोश मकान और खसरा न. 105 फाटी दुशाहड़ में बने 3.5 मंजिल स्लेट पोश मकान (दोनों मकानों) का मुआबजा मु. 1,10,21,450/- रु. भू अर्जन समाहर्ता HPPWD(CZ) मंडी द्वारा प्रदान किया गया है। न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (FT) कुल्लू के आदेश दिनांक 31-05-2010 के अनुसार श्री रोशन लाल शर्मा को भूमि खसरा न.103,104 में बने 2.5 मंजिल स्लेट पोश मकान और खसरा न.105 फाटी दुशाहड़ में बने 3.5 मंजिल स्लेट पोश मकान का बा हुआ मुआबजा मु. 46,07,133/- रु., अर्जन की गई भूमि का मु. 47,31,813/-रु. और फलदार पौधों का मु. 2,97,993/- रु. भू अर्जन समाहर्ता HPPWD (CZ) मंडी द्वारा प्रदान किया गया है। जांच के दौरान श्री रोशन लाल शर्मा तथा श्री मति मानदासी की सैंज बाई पास हेतु अधिग्रहण की गई भूमि की निशानदेही मौका राजस्व विभाग द्धारा व मौजूदगी रोशन लाल व महेश शर्मा व हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के कर्मचारीों की उपस्थिति में दिनांक 21-04-18 को करवाई गई। मुताविक रिपोर्ट निशानदेही रोशन लाल का अधिग्रहण शुद्धा भूमि खसरा न0 104/1 रक्बा तादादी 0-9-18 विघा, जिसमें मौका पर सड़क बनी पाई गई है परन्तु रोशन लाल का मलकीयती भूमि खसरा न0 104/2 रक्बा तादादी 0-9-18 विघा में बना नया लैंटर पोश तीन मंजिल मकान अधिग्रहण शुद्धा भूमि खसरा न0 104/1 के रक्बा तादादी 0-1-10 विघा पर अबैध क्ब्जा करके बना पाया गया, जिसका ततीमा मौका हासिल किया गाया है। रोशन लाल के अधिग्रहण शुद्धा भूमि खसरा न0105/1 रक्बा तादादी 02-9-14 विघा पर सड़क बनी पाई गई परन्तु इसके अतिरिक्त मौका पर रोशन लाल के मलकीयती भूमि खसरा न.105/2 रक्बा तादादी 0-14-06 विघा पर सड़क बनी तथा खुदाई होना पाई गई है जबकि यह भुमि अधिग्रहण ना की गई थी भूमि खसरा न. 105/1 तथा खसरा न. 105/2 में मौका पर कोई मकान न होना पाया गया है। जवकि रोशन लाल का दूसरा मकान 2.5 मंजिल स्लेटपोश मकान खसरा न. 103/2 रोशन लाल की मलकियती भूमि में पाया गया है जबकि यह भूमि सड़क निर्माण हेतु अर्जन न की गई है। हि.प्र.लो.नि.वि. द्धारा इसी मकान को रोशन लाल का दूसरा अधिग्रहण शुद्धा मकान बताया गया है और इस मकान का वास्तविक क्ब्जा न लिया गया है और न ही मकान को सड़क के निर्माण हेतु गिराया

गया है। अधिग्रहण शुद्धा भूमि खसरा न. 103/1 की सीमा इस मकान के दीवार के साथ लगती है। इस मकान और भुमि को सड़क हेतु अधिग्रहण की आवश्यकता न थी। मौका की स्थिती अनुसार सड़क मकान के उपर से बनाई गई है। जाँच पर पाया गया कि रोशन लाल का दुसरा मकान 2.5 मंजिल स्लेटपोश मकान खसरा न. 103/2 रोशन लाल की मलकियती भूमि में पाया गया है जबकि यह भूमि सड़क निर्माण हेतु अर्जन न की गई है और इस मकान का मुआबजा अवार्ड न. 2 दिनांक 12-01-2007 के अनुसार मु. 21,23,711/- रु. मय 30% आवश्यक अधिग्रहण और 12% अतिक्रमण मुआबजा और न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (FT) कुल्लू के आदेश 31-05-2010 के अनुसार श्री रोशन लाल शर्मा को इस 2.5 मंजिल स्लेट पोश मकान का बा हुआ मुआबजा मु. 22,96,400/- रु.मय 30% आवश्यक अधिग्रहण और 12% अतिक्रमण मुआबजा प्रदान किया गया है उपरोक्त वर्णित धन राशी की राज्य सरकार को अनुचित हानि हुई है और श्री रोशन लाल को अनुचित लाभ हुआ है।जाँच पर पाया गया कि श्रीमती मान दासी को अर्जन भूमि खसरा न. 2567, 2562,231/1 का मुआबजा मु. 1,47,974/- रुपए प्रदान किया गया है और तीन मकानों का मुआबजा मु. 80,61,229/- रु. भू अर्जन समाहर्ता HPPWD (CZ) मंडी द्धारा प्रदान किया गया है। न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (FT) कुल्लू के आदेश 31-05-2010 के अनुसार श्री श्रीमती मान दासी को भूमि का बा मुआबजा मु. 34,810 रु. और तीनो मकानों का मु. 19,03,745/- रु. बा हुआ मुआबजा भू अर्जन समाहर्ता HPPWD (CZ) मंडी द्वारा प्रदान किया गया है। जांच पर श्रीमति मानदासी की अधिग्रहण शुद्धा भूमि खसरा न0-2878/2567/2562/231/1 की निशानदेही करवाने पर महेश शर्मा पुत्र मानदासी पत्नि प्रेम चन्द द्वारा अधिग्रहण शुद्धा भुमि खसरा न02878/2567/2562/231/1 रकवा तादादी 0-02-13 बिघा पर अतिक्रमण करके अपने तीन मंजिल टीनपोश मकान की माउंटी(प्रवेश द्वार) तथा सड़क के लेवल से मकान की दीवार तक लैटर डाल रखा है । अधिग्रहण शुद्धा भूमि में अधिग्रहण से पहले के बने बाथरुम अभी तक सड़क के नीचे डंगे के साथ मौजुद हैं जिनको हि.प्र.लो.नि.वि. द्धारा कब्जा में ना लिया गया है तथा ना ही उन्हें गिराया गया है इस प्रकार सड़क बनवाने के लिए आवश्यकता से अधिक भूमि राजस्व और भु अर्जन विभाग के अधिकारीयों व कर्मचारीयों ने भूमि व मकान मालिक से मिली भगत करके अनुचित लाभ पहुँचाने की नीयत से अधिग्रहण किया गया है।जांच पर यह भी पाया गया कि श्री निक्का राम पुत्र श्री बाला राम कोठी बनोगी फाटी दुशाहड उप तहसील सैंज की भूमि खसरा न. 79/1,82/1, 102/1 सड़क हेतु अर्जन की गई है जिसका मुआबजा मु. 3,92,317 रु. प्रदान किया गया है और न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (FT) कुल्लू के आदेश 31-05-2010 के अनुसार निका राम को भूमि का बा मुआबजा मु. 10,59,674/-रु.भू अर्जन समाहर्ता HPPWD (CZ) मंडी द्वारा प्रदान किया गया है। श्री निक्का राम के अधिग्रहण शुद्धा भूमि खसरा न.102/1 रकवा तादादी 01-13-03 विघा, जिसमें मौका पर 6 कर्म चौडी सड़क बनी पाई गई है और शेष काफी रक्बा खाली पाया गया । इस खाली रकबा भूमि को भी सड़क हेतु अधिग्रहण की आवश्यकता ना थी और भूमि अधिग्रहण के कार्य में कार्यारत कर्मचारियों और अधिकारी द्वारा भूमि मालिक को लाभ पहुँचने की नियत से जरूरत से ज्यादा भूमि का अर्जन किया गया है। जाँच पर पाया गया कि सैंज बाईपास सड़क निर्माण के लिए भु-अर्जन कार्य हेतु हि.प्र.लो.नि.वि. मध्य खण्ड मण्डी के पटवारी श्री गोपाल चन्द, पटवारी श्री ठाकुर दास, श्री हरवंस लाल कानुनगो और श्री शिव राम नायब तहसीलदार कार्यरत थे और प्राप्त दस्तावेजों के अवलोकन से पाया गया कि उपरोक्त कर्मचारियों/अधिकारी द्वारा ही सैंज बाई पास सड़क निर्माण के लिए भूमि अर्जन का कार्य किया गया है । सैंज बाई पास सड़क निर्माण हेतु भू अर्जन हि.प्र.लो.नि. विभाग के उपरोक्त कर्मचारियों/अधिकारी द्वारा तैयार किया गया अक्स ततीमा शजरा किश्तवार फाटी दुशाहड़ कोठी बनोगी, फिल्ड बुक सैंज बाई पास सड़क की प्रति, फहरिस्त मकानात जो सड़क निर्माण में अधिग्रहण किए गए है, पेड़ जो अधिग्रहण की गई भूमि में पाए गए है । भूमि अधिग्रहण से सबंधित उपरोक्त सभी दस्तावेज उपरोक्त कर्मचारीयों/अधिकारी द्वारा सयुंक्त रूप से तैयार करके हस्ताक्षरित करने पाए गए है और उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर ही भू अर्जन समाहर्ता HPPWD (CZ) मंडी जिला मंडी द्वारा अवार्ड न. 1/2006 दिनांक 27-05-2006 के अनुसार सड़क निर्माण हेतु अर्जन की गई भूमि और भूमि में लगे फलदार पौधों का मुआवजा और अवार्ड न. 2 दिनांक 12-01-2007 के अनुसार सड़क निर्माण हेतु अर्जन की गई भूमि में पाए गए मकान, गौशाला इत्यादि का मालिकों को मुआबजा प्रदान किया गया है।जांच पर यह भी पाया गया है कि श्री गोपाल चन्द गुप्ता तत्कालीन सहायक अभियन्ता और श्री विरेन्द्र कुमार तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, हि.प्र.लो.नि.वि. उपमण्डल बंजार ने श्री रोशन लाल और श्रीमति मान दासी (मृतका) के पुत्र श्री महेश शर्मा से मिली भगत करके और मकान मालिकों को अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से सड़क के लिए अधिग्रहण किए गए मकानों का वास्तविक कब्जा न लिया व न ही मकानों में लगे बिजली के मीटर को काटने के संदर्भ में कोई कार्यवाही की है और न ही न्यायालय के आदेश से बढ़े हुए मुआवजा की अदायगी के समय न्यायालय में कोई आपति मुआवजा राशी को रोकने के संदर्भ में की गई और लोकसेवक होते हुए अधिग्रहण की गई भुमि को बेईमानी की नियत से मिली भगत करके मकानों को कब्जा में न लेकर मालिकों को ही प्रयोग करने दिया, जिससे सरकार को अनुचित हानि होनी पाई गई है। जाँच पर पाया गया कि भू व्यवस्था के तत्कालीन पटवारी श्री गोपाल चन्द, पटवारी श्री ठाकुर दास, श्री हरवंस लाल कानुनगो और श्री शिव राम नायब तहसीलदार भु-अर्जन अधिकारी हि.प्र.लो.नि.वि. मध्य खण्ड मण्डी द्वारा सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहण की गई भूमि में उपोरक्त अधिकारीयों गोपाल चन्द गुप्ता सहायक अभियन्ता (सेवानिवृत), विरेन्द्र सिंह (कनिष्ठ अभियन्ता) हि.प्र.लो.नि.वि. उपमण्डल बंजार से मिलीभगत करके, भुमि मालिक श्री रोशन लाल, मानदासी और श्री निक्का राम को अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से आपसी मिली भगत और अपराधिक षड्यंत्र रचकर, जिस मकान व भुमि की सड़क निर्माण हेतु आवश्यकता न थी को अधिग्रहित कर दिया जिससे राज्य सरकार को अनुचित हानि हुई है और लाभार्थियों (श्री रोशन लाल, मान दासी और निक्का राम) को अनुचित लाभ हुआ है । भु व्यवस्था के पटवारी श्री गोपाल चन्द, पटवारी श्री ठाकुर दास, श्री हरवंस लाल कानुनगो और श्री शिव राम नायब तहसीलदार भु-अर्जन अधिकारी हि.प्र.लो.नि.वि. मध्य खण्ड मण्डी व गोपाल चन्द गुप्ता सहायक अभियन्ता (सेवानिवृत), विरेन्द्र सिंह (कनिष्ठ अभियन्ता) हि.प्र.लो.नि.वि. उप मण्डल बंजार का उपरोक्त कृत्य अपराध अधीन धारा 420,120 भा.द.सं. और धारा 13(2) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 का होना पाया गया है और रोशन लाल, महेश शर्मा और निक्का राम के विरुद्ध अपराध अधीन धारा 420,120B,447 भा.द.स. का होना पाया गया है।जांच के दौरान हि.प्र.लो.नि.वि. उप मण्डल बंजार में कार्यरत तत्कालीन सहायक अभियन्ता गोपाल चन्द गुप्ता (सेवानिवृत), विरेन्द्र सिंह (कनिष्ठ अभियन्ता) उप मण्डल बंजार व गोपाल सिंह तत्कालीन पटवारी भू-अर्जन (सेवानिवृत 2014) के विरुद्ध धारा 17A PC ACT (Amendment) act 2018 के अन्तर्गत अभियोग दर्ज करने हेतु पूर्व अनुमोदन,प्रधान सचिव (PW) to the Government of Himachal Pradesh द्धारा मुताविक पत्र संख्या PBW-AA(5)-7/2019 दिनांक 19-03-2020, श्री शिव राम नायब तहसीलदार भु-अर्जन अधिकारी हि.प्र.लो.नि.वि. मध्य खण्ड के विरुद्ध पूर्व अनुमोदन मण्डलायुक्त मण्डी मण्डल द्धारा पत्र संख्या न.-Commr. MND-EA-II-2020-3035-37 दिनांक 23-06-2020 के और श्री गोपाल चन्द पटवारी , श्री ठाकुर दास पटवारी तथा श्री हरवंस लाल कानुनगो का पूर्व अनुमोदन पत्र संख्या न.- DRO/SK/KM/2016 दिनांक 04-02-2021 के अनुसार उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी द्धारा प्रदान किए गए है। जाँच रिपोर्ट अनुमोदन के उपरांत सतर्कता मुख्यालय के पत्र संख्या SV&ACB(R-C-R/HQ) Comp,166/15(KLU)-8345 दिनोंक 04-06-2021 व पुलिस अधीक्षक सतर्कता कार्यालय मध्य क्षेत्र मण्डी के पत्र पृष्ठांकन संख्या 3297 दिनांक 08-06-2021 के थाना पर अभियोग पंजीकृत करने हेतु प्राप्त हुई है।अतः स्वयं निहित रिपोर्ट अभियोग पंजीकृत करने हेतु प्रेषित है । Sd-(ओमा ठाकुर, निरीक्षक जाँच अधिकारी, थाना रा.स. एवं भ्र.रो. ब्युरो केलांग, जिला लाहौल स्पिति, अस्थायी तैनाती थाना रा.स.एवं भ्र.रो.ब्युरो कुल्लू हि.प्र.दिनांक 10-06-2021 कार्यवाही थानाः- स्वतः पूर्ण रिपोर्ट को शब्द व शब्द लिखा गया। जिस पर अभियोग संख्या 03/2021दिनांक 10-06-2021 निम्न धारा 420,447,120B IPC & 13(2) PC Act अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां कम्पयुटर द्धारा तैयार की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट का इन्द्राज सम्बन्धित रजिस्ट्रों में किया जा रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति बदस्त मानक मुख्य आरक्षी सतीश कुमार के माननीय विशेष न्यायधीश कुल्लू प्रेषित की जा रही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट को ही विशेष प्रतिवेदन समझा जाए। अभियोग का अन्वेषण मय मिसल मुकमदा निरीक्षक भूपेन्द्र पाल अन्वेषणाधिकारी थाना को सौंपा जा रहा है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है |)

(1) **Registered the case and took up the investigation:** **or (या)**
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Bhupender Pal **Rank (पद):** I (Inspector)
No.(सं.): 13070 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):**

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Ajay Kumar
Rank(पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)
No.(सं.): NA

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद (से॰मी॰))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					Poxpitted: NO
2	Male					Poxpitted: NO
3	Male					Poxpitted: NO
4	Male					Poxpitted: NO
5	Male					Poxpitted: NO
6	Male					Poxpitted: NO
7	Male					Poxpitted: NO
8	Male					Poxpitted: NO
9	Male					Poxpitted: NO

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)